**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

---

**एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा**

---

**दाण्डिक अपील क्रमांक 2619/1998**

दिनेश कुमार कन्नोजे

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**निर्णय**

**दिनांक 07/02/2012 को सूचिबध्द करे**।

**सही/-**

**आर.एस. शर्मा**

**न्यायमूर्ति**

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

---

**एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा**

---

**दाण्डिक अपील क्रमांक 2619/1998**

<u>अपीलार्थी:</u> दिनेश कुमार कन्नोजे, पिता- एम.एस.
कन्नोजे, उम्र लगभग 36 वर्ष,
पटवारी, निवासी मगरलोड, जिला रायपुर

<u>बनाम</u>

<u>प्रत्यर्थी:</u> मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

---

उपस्थित:

श्री सौरभ डांगी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>(दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)</u>

**<u>निर्णय</u>**

**<u>(दिनांक 17 फरवरी को घोषित)</u>**

यह अपील, विशेष प्रकरण क्रमांक 1/1993 विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 31-10-1998 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी दिनेश कुमार कन्नोजे को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1947' कहा गया है) की धारा 5(1)(घ) के साथ धारा 5(2) के तहत दोषसिध्द पाया गया है और उसे एक वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने के साधारण कारावास एवं एक वर्ष के साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना, तथा जुर्माना न भरने की स्थिति में तीन महीने के

साधारण कारावास से क्रमशः दंडित किया गया है। दोनों कारावास के दंड एक साथ चलाने के निर्देश दिए गए है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

अपीलार्थी की, रायपुर जिले के हल्का नंबर 2, मंडेली ग्राम के पटवारी के पद पर जुलाई 1988 में नियुक्ति हुई थी। शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7), निवासी ग्राम मंडेली, थाना अभनपुर, जिला रायपुर बैंक से ऋण लेना चाहता था। इसके लिए उसे यह प्रमाण पत्र चाहिए था कि उसके नाम पर कोई जमीन नहीं है। जब शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संपर्क किया, तो अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से उक्त बाबत 60 रुपये के परितोषिक की मांग की गई। चूंकि शिकायतकर्ता परितोषिक नहीं देना चाहता था, इसलिए उसके द्वारा दिनांक 20-7-1988 को रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय के विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को शिकायत (प्र.पी.-1) दर्ज कराई गई। शिकायत (प्र.पी.-1) को आगे की कार्यवाही के लिए निरीक्षक जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) को अग्रेषित कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

शिकायत (प्र.पी.-1) प्राप्त होने पर, जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) द्वारा देहाती नालिशी (प्र.पी.-14) दर्ज की गई। उनके द्वारा डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) को पंच साक्षी बनने के लिए बुलाया गया। दोनों पंच साक्षियों को शिकायत (प्र.पी.-1) अवलोकन के लिए दिया गया। उनके द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायत (प्र.पी.-1) के बारे में पूछताछ की गई। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता द्वारा कुल 60 रुपये के मुद्रा नोट जिसमें 50 रुपये और 10 रुपये के मूल्यवर्ग के मुद्रा नोट शामिल थे, प्रस्तुत किए गए। ट्रैप की कार्यवाही के पूर्व एक प्रदर्शन आयोजित किया गया जिसमें एक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। घोल में एक सादे कागज को डुबाने पर, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद, फिनोलफथेलिन पाउडर युक्त कागज के एक अन्य टुकड़े को उक्त घोल में डुबाया गया जिससे घोल का रंग गुलाबी हो गया। एक ट्रैप पूर्व पंचनामा (प्र.पी.-2) तैयार किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्रा नोटों के क्रमांक ट्रैप पूर्व पंचनामा (प्र.पी.-2) में दर्ज की गए। मुद्रा नोट प्रस्तुत करने के बाद, उन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगाया गया और नोटों को शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) की पैंट की दाहिनी जेब में रख दिया गया। शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) को निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया कि ट्रैप कार्यवाही कैसे किया जाएगा और ट्रैप की कार्यवाही में उन्हें क्या भूमिका निभानी है। ट्रैप दल मंडेली

ग्राम के लिए रवाना हुई। जब वे मंडेली ग्राम पहुंचे, तो उस समय अपीलार्थी वहां मौजूद नहीं था। वह धमतरी गया हुआ था। उसी दिन, शाम लगभग 6 बजे, अपीलार्थी वापस मंडेली ग्राम आया। जब अपीलार्थी एक तालाब के पास पहुंचा, तब शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने उससे वहां मुलाकात की और उसे 60 रुपये के मुद्रा नोट दिए। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) द्वारा ट्रैप दल को संकेत भेजा गया। ट्रैप दल तुरंत मौके पर पहुंची और अपीलार्थी के हाथों को पकड़ लिया। ट्रैप दल ने अपीलार्थी की कमीज की जेब से 60 रुपये के नोट जब्त किए। जब्त किए गए नोटों के क्रमांक का मिलान ट्रैप पूर्व पंचनामा (प्र.पी.-2) में उल्लेखित क्रमांकों से किया गया, जो एक समान पाई गईं। सोडियम कार्बोनेट का एक घोल तैयार किया गया और अपीलार्थी की उंगलियों को उसमें डुबाया गया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। तत्पश्चात, घोल को एक बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया और अपीलार्थी की कमीज की जेब को उसमें डुबाया गया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। घोल को दूसरी बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया और जब्त किए गए मुद्रा नोटों को उसमें डुबाया गया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया जिसमें शिकायतकर्ता चैतराम (साक्ष्य-7) की उंगलियों को डुबाया गया, जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। घोल को भी एक बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। तत्पश्चात, ट्रैप-पंचनामा (प्र.पी.-3) तैयार किया गया और जब्त की गई वस्तुओं को (प्र.पी.-8 और प्र.पी.-9) के माध्यम से न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया । तत्पश्चात, वहां से प्रतिवेदन (प्र.पी.-10) के माध्यम प्राप्त हुई। नियमित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-15) क्रमांक 161/88 दर्ज की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अन्वेषण पूरी होने के पश्चात, प्रदर्श पी-16 के माध्यम से अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी प्राप्त की गई तथा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में उसके खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप विचरित किए गए। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी पाया और उस पर उपर्रोक्त वर्णित अनुसार दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अवैध परितोषिक की मांग और प्राप्ति के संबंध में मुख्य रूप से डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1), कृष्ण लाल ग्वाल (अभियोजन साक्षी क्र.-2), जॉन वर्गीज (अभियोजन साक्षी क्र.-3), आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4), शिवचरण (अभियोजन साक्षी क्र.-5), नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6), चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7), बी.आई.आर. नायडू (अभियोजन साक्षी क्र.-8), ईश्वरलाल (अभियोजन साक्षी क्र.-9), नरेश कुमार (अभियोजन साक्षी क्र.-10), जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) और डी.आर. यादव (अभियोजन साक्षी क्र.-12) का परीक्षण कराया। बचाव में, अपीलार्थी ने मोहनलाल (बचाव साक्षी क्र.-1) और लोकनाथ साहू (बचाव साक्षी क्र.-2) का परीक्षण कराया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ डांगी ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष विश्वसनीय और ठोस साक्ष्यों के माध्यम से अवैध परितोषिक की मांग को प्रमाणित करने में विफल रहा है। डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को शिकायतकर्ता से अपनी ओर से पैसे मांगते हुए नहीं सुना था। नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6) और नरेश कुमार (अभियोजन साक्षी क्र.-10) के साक्ष्यों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) अपीलार्थी को जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश कर रहा था और अपीलार्थी उसे लेने से इनकार कर रहा था। अवैध परितोषिक की मांग, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ धारा 5(2) के तहत अपीलार्थी को दोषसिध्द के लिए अनिवार्य शर्त है, सिद्ध नहीं हुई है। अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को दोषसिद्धि से पहले अभियोजन पक्ष के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ धारा 5(2) के सभी तत्वों को संतुष्ट और स्थापित करना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय कायम रखने योग्य नहीं है और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने **बाल कृष्ण सयाल बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 689, सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य, ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 2169, अरुण कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2011 (1) सी.जी.एल.जे. 99, दर्शन लाल बनाम दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 218 और दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 911** का अवलंब लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए उपरोक्त तर्कों का खंडन किया और निवेदन किया कि अभियोजन ने निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। रिश्वत की रकम अपीलार्थी से बरामद की गई है। जब अपीलार्थी की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया था। इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध एक उपधारणा है तथा उसके विरुद्ध दोषसिद्धि और अधिरोपित दण्ड के निर्णय में इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और विशेष प्रकरण क्रमांक 1/93 के अभिलेख का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

7. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद यह निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से 60 रुपये की अवैध परितोषिक की मांग की थी।

8. चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी मंडेली ग्राम में पटवारी के पद पर पदस्थ था। वह बैंक से ऋण लेना चाहता था। इसके लिए उसे यह प्रमाण पत्र चाहिए था कि उसके नाम पर कोई भूमि नहीं है। उसने उक्त प्रमाण पत्र जारी करवाने के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया। अपीलार्थी ने उससे 150-200 रुपये मांगे। उसने उक्त प्रमाण पत्र के लिए बार-बार अपीलार्थी से संपर्क किया। अपीलार्थी ने उससे 60 रुपये रिश्वत की मांग की और कहा कि वह पैसे लिए बिना उसे आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं देगा। इस पर शिकायतकर्ता ने रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत (प्र.पी.-1) दर्ज कराई। जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 20-7-1988 को शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) रायपुर स्थित लोकायुक्त कार्यालय आया और उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त, रायपुर के समक्ष अपनी शिकायत (प्र.पी.-1) प्रस्तुत की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत (प्र.पी.-1) उन्हें अग्रेषित कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने दो पंच साक्षियों डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) को बुलाया और उन्हें शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से मिलवाया। उन्होंने पंच साक्षियों को शिकायत (प्र.पी.-1) पढ़ने के लिए दिया। पंच साक्षियों ने शिकायत (प्र.पी.-1) पढ़ी और शिकायतकर्ता से इसके बारे में पूछताछ की। इसके बाद, एक ट्रैप कार्यवाही आयोजित की गई। ट्रैप की कार्यवाही से पूर्व एक प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें एक गिलास में सोडियम

कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया। एक सादे कागज को घोल में डुबाया गया, लेकिन घोल का रंग नहीं बदला। इसके बाद, फिनोलफथेलिन पाउडर से सना हुआ कागज का एक और टुकड़ा घोल में डुबाया गया, जिसका रंग गुलाबी हो गया। ट्रैप से पूर्व की कार्यवाही को पंचनामा प्र.पी.-2 के अनुसार तैयार किया गया। प्रदर्शन के बाद, शिकायतकर्ता को 60 रुपये के नोट पेश करने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता ने 50 रुपये और 10 रुपये के नोट जमा किए, जिन पर फिनोलफथेलिन पाउडर लगा हुआ था और उसके बाद उन नोटों को शिकायतकर्ता की जेब में रख दिया गया। शिकायतकर्ता को बताया गया और मार्गदर्शन दिया गया कि ट्रैप की कार्यवाही कैसे किया जाएगा और ट्रैप की कार्यवाही के दौरान उसे क्या भूमिका निभानी होगी। डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1), आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) और चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में इसी तरह का अभिसाक्ष्य दिया गया।

10. डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1), आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4), चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) और जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वे मंडेली ग्राम के लिए आगे बढ़े थे। उस समय अपीलार्थी मंडेली स्थित अपने घर पर मौजूद नहीं था। वह धमतारी गया हुआ था। उसी दिन शाम लगभग 6 बजे वह मंडेली ग्राम लौटा। जब वह एक तालाब के पास पहुंचा, तो शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) और डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) भी तालाब के पास पहुंच गए। ट्रैप दल के अन्य सदस्य भी तालाब की ओर जल्द ही पहुंच गए। शिकायतकर्ता की मुलाकात अपीलार्थी से तालाब के पास हुई। उस समय अपीलार्थी तालाब से बाजार की ओर जा रहा था। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी से मुलाकात की तथा उससे बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को 60 रुपये के मुद्रा नोट दिए। अपीलार्थी ने रुपये लिए और उसे अपनी कमीज की जेब में रख लिया। शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने ट्रैप दल को एक संकेत दिया। ट्रैप दल तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंनें अपीलार्थी के हाथों को पकड़ लिया।

11. जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी से पूछे जाने पर उसने बताया कि उसने पैसे अपनी कमीज की जेब में रखे थे। सोडियम कार्बोनेट का एक घोल तैयार किया गया जिसमें डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) की उंगलियों को डुबाया गया, जिससे उसका रंग नहीं बदला। इसके बाद, अपीलार्थी की उंगलियों को घोल में डुबाया गया, घोल का रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। इसके बाद, डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) ने अपीलार्थी की कमीज की जेब से 60 रुपये के नोट बरामद किए। जब्त किए गए नोटों का मिलान ट्रैप के पूर्व तैयार की गए पंचनामा (प्र.पी.-2) में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उल्लेखित नोटों के क्रमांकों से की गई, जो समान पाई गईं। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया और जब्त किए गए नोटों को उसमें डुबाया गया जिससे उसका रंग गुलाबी हो गया। घोल को दूसरी बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। सोडियम कार्बोनेट का एक और घोल तैयार किया गया, जिसमें अपीलार्थी की कमीज की जेब को डुबाया गया, जिसका रंग गुलाबी हो गया। घोल को एक अन्य बोतल में भरकर सील बंद कर दिया गया। डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1), आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) और चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) द्वारा भी इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य दिया गया है।

12. डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1), आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4), चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) और जीवन भालेकर (अभियोजन साक्षी क्र.-11) के साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी से 60 रुपये की राशि बरामद की गई थी और जब्त किए गए मुद्रा नोटों के क्रमांक का मिलना ट्रैप के पूर्व तैयार की गए पंचनामा (प्रदर्श पी.-2) में उल्लेखित क्रमांकों से करने पर, वे समान पाए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. अब, मैं यह परीक्षण करूंगा कि क्या मात्र मुद्रा नोटों की बरामदगी अपीलार्थी को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता और अधिनियम, 1947 की धारा 5(1) (घ) के तहत दोषसिध्द के लिए पर्याप्त है?

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत अपराध गठित करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि धन की मांग की गई थी और उसे अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया था। इसी प्रकार, अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के अनुसार, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी कार्य के बदले धन की मांग और स्वीकृति अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए अनिवार्य शर्त है।

15. **बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 4 एससीसी 450** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया:

> "**24**. एम.के. हर्षन बनाम केरल राज्य, (1996) 11 एससीसी 720 में, इस न्यायालय ने कुछ ऐसी ही समान परिस्थितियों में, जहाँ रंग लगी हुई राशि को अभियुक्त के दराज में रखा गया था, जिसे अभियुक्त ने इनकार किया और कहा कि इसे उसकी जानकारी के बिना दराज में रखा गया था, निम्न अनुसार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ.723-24, कण्डिका 8)

"8......इसी संदर्भ में न्यायालयों ने सावधानी बरतते हुए अभिनिर्धारित किया है कि विवेक के नियम के रूप में, कुछ संपृष्टि आवश्यक है। रिश्वत के ऐसे सभी मामलों में दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला, मांग होनी चाहिए और दूसरा, स्वीकृति होनी चाहिए तथा इस प्रकार होनी चाहिए कि अभियुक्त ने अवैध परितोषिक प्राप्त किया हो। केवल मांग ही अपराध प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, दूसरा पहलू, अर्थात् स्वीकृति, बहुत महत्वपूर्ण है और जब अभियुक्त ने यह तर्क दिया है कि मुद्रा नोट उसकी जानकारी के बिना दराज में रखे गए थे, तो यह दिखाने के लिए निर्णायक साक्ष्य होना जरुरी है कि अभियुक्त की मौन सहमति से ही अवैध परितोषिक के रूप में पैसा दराज में रखा गया था। दुर्भाग्य से, इस प्रकरण में इस बिंदू पर हमारे पास अभियोजन साक्षी क्र. क्रमांक 1 के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। चूंकि अभियोजन साक्षी क्र. क्रमांक 1 के साक्ष्य में खामियां हैं, इसलिए हमने कुछ संपृष्टि खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यर्थ रहा। कोई अन्य अभियोजन साक्षी या कोई अन्य परिस्थिति नहीं है जो अभियोजन साक्षी क्र. क्रमांक 1 के इस साक्ष्य का समर्थन करती हो कि रिश्वत के रूप में यह रंग लगी हुई राशि अभियुक्त के निर्देशानुसार दराज में रखा गया था। जब तक हम इस बिंदू से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक यह मानना मुश्किल है कि अभियुक्त ने मौन रूप से अवैध परितोषिक स्वीकार किया या उसे अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के सुसंगत प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त किया है, विशेष रूप से तब जब अभियुक्त का अभिकथन संभावित प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**25.** अपीलार्थी की ओर से इस माननीय न्यायालय के सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 के निर्णय का अवलंब लिया गया है, जिसमें प्रकरण के तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मांग और स्वीकृति के ठोस साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त से केवल धन की वसूली अपने आप में पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि रिश्वत समझकर धन की कोई स्वेच्छापूर्वक स्वीकृति नहीं है और इससे अभियुक्त को अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का लाभ देते हुए, न्यायालय ने निर्णय के कण्डिका 18 और 20 में निम्नानुसार अभिनिर्णय किया: (एससीसी पृष्ठ 784 और 785-86)

"18. सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, कण्डिका 2) केवल रंग लगी हुई राशि की बरामदगी, उसे भुगतान किए जाने की परिस्थितियों से अलग करके, अभियुक्त को दोषसिध्द करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब प्रकरण के ठोस

साक्ष्य विश्वसनीय न हो। अभियोजन पक्ष द्वारा केवल बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को सिद्ध नहीं किया जा सकता, यदि रिश्वत के भुगतान को प्रमाणित करने वाले साक्ष्य उपलब्ध ना हो अथवा यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य न हो कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से रिश्वत समझकर उस धन स्वीकार किया था।"

20. एम. नरसिंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2001) 1 एससीसी 691 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस तर्क पर विचार करते हुए कि लोक सेवक को कुछ मुद्रा नोट सौंपना ही परितोषिक की स्वीकृति नहीं है और अभियोजन पक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह प्रमाणित करे कि भुगतान की गई राशि परितोषिक थी, अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 700, कण्डिक 24)

"24. .......हमारा मानना है कि इस प्रकरण पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में इस पहलू पर विस्तार से निर्धारण किया गया है। (देखें मधुकर भास्करराव जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2000) 8 एससीसी 571)। उक्त निर्णय में हमारे द्वारा दिया गया निम्नलिखित कथन विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्क का उत्तर होगा: (मधुकर मामला, एससीसी पृष्ठ 577, कण्डिका 12)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"12. अवधारित करने के लिए तथ्यों के आधार पर यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि परितोषिक का भुगतान या स्वीकृति हुई थी। एक बार यह स्थापित हो जाने पर, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि उक्त परितोषिक किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए 'प्रेरणा या पुरस्कार' के रूप में स्वीकार की गई थी। इसलिए 'परितोषिक' शब्द को पुरस्कार के अर्थ में विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुरस्कार उस उपधारणा का परिणाम है जो न्यायालय को परितोषिक के भुगतान के तथ्यात्मक आधार पर लगाना होता है। 'परितोषिक या कोई मूल्यवान वस्तु' जैसे दो एक दूसरे के समवर्ती अभिव्यक्तियों के एक साथ प्रयोग को देखकर यह और भी पुष्ट हो जाएगा। यदि किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति से यह उपधारित किया जा सकता है कि इसे किसी आधिकारिक कार्य को करने या न करने के लिए प्रेरणा या पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया गया था, तो 'परितोषिक' शब्द को उस संदर्भ में किसी भी भुगतान के रूप में माना जाना

चाहिए जो इसे प्राप्त करने वाले लोक सेवक को संतुष्टि प्रदान करने के लिए किया गया हो।

दरअसल, उपरोक्त सिद्धांत किसी भी तरह से व्युत्पन्न नहीं है, बल्कि सूरज मल मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पुनरावृति है, जहां न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि केवल बरामदगी से ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता, यदि परितोषिक के भुगतान को प्रमाणित करने वाले या यह दर्शाने वाले कोई साक्ष्य कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था मौजूद ना हो। सीता राम बनाम राजस्थान राज्य, (1975) 2 एससीसी 227 में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

16. **टी. सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2006) 1 एससीसी 401** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के के तहत एक मामले में, अवैध परितोषिक के रूप में धन की मांग और स्वीकृति के प्रमाण के अभाव में, केवल अभियुक्त द्वारा धन की प्राप्ति का प्रमाण अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि अभियुक्त साक्ष्य के आधार पर यह उचित और संभावित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है कि उसने धन को अवैध परितोषिक के अलावा किसी अन्य रूप में स्वीकार किया था, तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल बरामदगी से ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता, यदि रिश्वत के भुगतान को प्रमाणित करने वाले या यह दर्शाने वाले कोई साक्ष्य कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था मौजूद ना हो।

18. **सी.एम.गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, कोचीन, केरल उच्च न्यायालय, (2009) 3 एससीसी 779** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि:

"**18.** सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि (एससीसी पृष्ठ 727, कण्डिका 2 ) केवल रंग लगी हुई राशि की बरामदगी, उसे भुगतान किए जाने की परिस्थितियों से अलग करके, अभियुक्त को दोषसिध्द के लिए पर्याप्त नहीं है, जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हो। केवल बरामदगी से ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता,

यदि रिश्वत के भुगतान को प्रमाणित करने वाले या यह दर्शाने वाले कोई साक्ष्य कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन स्वीकार किया था मौजूद ना हो।"

**22.** यह भी सर्वविदित है कि अधिनियम की धारा 20 के तहत जिस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अनुमान लगाया जाता है, उस पर डाला गया साक्ष्य का भार, अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से परे मामले को प्रमाणित करने के भार के समान नहीं है।

"4. .........यह सर्वविदित है कि जहाँ किसी विवाद्यक का भार अभियुक्त पर होता है, वहाँ उसे अपने उस भार को पूरा करने के लिए मामले को उचित संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह निश्चित रूप से वह कसौटी है जो यह तय करने के लिए निर्धारित की जाती है कि क्या अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित करने का अपना दायित्व पूरा किया है; लेकिन वही कसौटी उस अभियुक्त पर लागू नहीं की जा सकती जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत उस पर लगाए गए भार का निर्वहन करना चाहता है। यदि अभियुक्त अपने मामले के पक्ष में प्रबल संभावना प्रमाणित करने में सफल होता है तो यह पर्याप्त है। अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करे या अन्यथा दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त करे। अभियुक्त पर साक्ष्य का भार प्रबल संभावना से अपने मामले को प्रमाणित करना है। जैसे ही वह ऐसा करने में सफल होता है, भार अभियोजन पक्ष पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसे अभी भी अपना मूल दायित्व पूरा करना है जो कभी नहीं बदलता, अर्थात् पूरे मामले में अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे प्रमाणित करना।" (जोर दिया गया) (देखें वी.डी. झिंगन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम, एआईआर 1966 एससी 1762, एआईआर पृष्ठ 1764, कण्डिका 4)।

19. **केरल राज्य और अन्य बनाम सी.पी.राव, (2011) 6 एससीसी 450**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया कि:

"7. इन तथ्यों के आलोक में, विशेष रूप से अभियोजन साक्षी क्र. क्रमांक 1 का परीक्षण न होना, उच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण पाया गया। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के पनालाल दामोदर राठी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1979) 4 एससीसी 526 के निर्णय का अवलंब दिया है, जिसमें इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि जब अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग के संबंध में शिकायतकर्ता के साक्ष्य की संपृष्टि नहीं होती है, तो यह स्वीकार करना होगा कि शिकायतकर्ता के अभिकथन की संपृष्टि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नहीं हुई है, इसलिए शिकायतकर्ता का साक्ष्य विश्वशनीय नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में, पनालाल दामोदर राठी मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह है और मामला उचित संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। (एस.सी.सी. कण्डिका 11 देखें।)

10. सी.एम. गिरीश बाबू बनाम सीबीआई, (2009) 3 एससीसी 779 में, इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मामले की सुनवाई करते हुए, सूरज मल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1979) 4 एससीसी 725 में अपने पूर्व के निर्णय का अवलंब देते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि जब मामले में ठोस साक्ष्य विश्वसनीय न हो, तो केवल रंग लगी हुई राशि की बरामदगी, उसे दिए जाने की परिस्थितियों से अलग करके, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल बरामदगी से ही अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का आरोप सिद्ध नहीं हो सकता। रिश्वत के भुगतान को सिद्ध करने वाले साक्ष्य या अभियुक्त ने स्वेच्छा से रिश्वत समझकर धन स्वीकार किया यह दिखाने वाले साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। (एससीसी कण्डिका 18 देखें।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, ए. सुबैर बनाम केरल राज्य, (2009) 6 एससीसी 587 में इसी न्यायालय के एक बाद के निर्णय में, न्यायालय ने रिश्वत के मामले में शिकायतकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किया है। महत्वपूर्ण विचार कण्डिका 18-19 में व्यक्त की गई हैं, जो नीचे उद्धृत हैं: (एससीसी पृष्ठ 592)

"18......... उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि विशेष न्यायाधीश ने शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया और वे प्रयास विफल रहे क्योंकि वह भारत में उपलब्ध नहीं था, इसलिए शिकायतकर्ता की परीक्षण न करने का विधिक औचित्य था।

19. हमें उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना कठिन लगता है। अंवेषण अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की जांच न करने के संबंध में स्पष्टीकरण के अभाव में, अधिनस्थ न्यायालयों के लिए शिकायतकर्ता को साक्ष्य के रूप में पेश न करने पर अपना स्वयं का कारण खोजना उचित नहीं था। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि

मांग को प्रमाणित करने वाला सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

**12.** उपरोक्त उद्धृत सिद्धांत इस मामले में स्पष्ट रूप से लागू होते हैं। इन सिद्धांत के संदर्भ में, इस न्यायालय ने ए. सुबैर मामले के एससीसी कण्डिका 28 में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को किसी भी अन्य दाण्डिक अपराध की तरह ही आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करना होगा और अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक इसके विपरीत, अवैध परितोषिक की मांग और स्वीकृति के उचित प्रमाण प्रमाणित न हो जाए, जो रिश्वत के मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्व है। विधि के उपरोक्त स्थापित सिद्धांतों को देखते हुए, हमें उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना कठिन लगता है।"

20. अपीलार्थी का धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षण किया गया और उसने बचाव लिया कि शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने पैसे उसकी कमीज की जेब में जबरदस्ती डाल दिए थे। अपने बचाव में उसने मोहनलाल (बचाव साक्ष्य क्र.-1) और लोकनाथ साहू (बचाव साक्ष्य क्र.-2) को परीक्षण के लिए पेश किया। उसने नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6) और नरेश कुमार (अभियोजन साक्षी क्र.-10) के साक्ष्यों का भी अवलंब लिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6) एक शिक्षक हैं। उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि वह, नरेश कुमार (अभियोजन साक्षी क्र.-10) और अपीलार्थी तालाब की ओर गए थे और वहाँ अपने दाँत साफ़ कर रहे थे। उसी समय चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) और एक अन्य व्यक्ति वहाँ आए। चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी से उसका काम करने को कहा। चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी से कुछ पैसे लेने को कहा, लेकिन अपीलार्थी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी पर पैसे लेने के लिए दबाव डाला। अपीलार्थी ने चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है; वह धमतरी से लौटा है और थका हुआ है। अपीलार्थी ने चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से अगले दिन आने को भी कहा। उसने आगे अभिकथन दिया कि जब वे तालाब से लौट रहे थे और पंचायत भवन के पास पहुँचे, तो चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी को रोका और उसकी कमीज़ की जेब में पैसे डाल दिए। अपीलार्थी ने चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से पूछा कि वह क्या कर रहा है और अपनी जेब से पैसे निकाल लिए। उसी समय, ट्रैप दल ने उसे पकड़ लिया।

22. नरेश कुमार (अभियोजन साक्षी क्र.-10) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह, नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6) और अपीलार्थी तालाब के पास दांत साफ कर रहे थे। उसी समय चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) एक व्यक्ति के साथ वहां आया था। उसके पश्चात, चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी की कमीज की जेब में पैसे डाल दिए। प्रति परीक्षण के दौरान, कण्डिका 4 में, उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि जब वे पंचायत भवन के पास पहुंचे, तो चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) भी उनके साथ वहां आ गया था। उसके पश्चात, चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी की कमीज की जेब में पैसे डाल दिए। अपीलार्थी ने चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से पूछा कि वह क्या कर रहा है और अपनी जेब से पैसे निकाल लिए। उसी समय, ट्रैप दल ने उसे पकड़ लिया।

23. डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) ने कण्डिका 14 में प्रति परीक्षण के दौरान अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी को शिकायतकर्ता से पैसे मांगते हुए नहीं सुना। आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) को अपीलार्थी को पैसे देते हुए नहीं देखा। उन्होंने अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत भी नहीं सुनी। उस समय अपीलार्थी के साथ दो अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. किसी ट्रैप कार्यवाही के मामले में, कम से कम कुछ पंच साक्षियों द्वारा बातचीत सुनी जानी चाहिए या कुछ ऐसा देखा जाना चाहिए जिसके बारे में वे साक्ष्य दे सकें। इस तरह के मामले में संपुष्टि अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कथित घटना के समय वास्तव में क्या हुआ था और रिश्वत की स्वीकृति के संबंध मे मामले में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।

25. मोहनलाल (बचाव साक्षी क्र.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि उसने शिकायतकर्ता चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) को अपीलार्थी की कमीज की जेब में कुछ रखते हुए देखा था। अपीलार्थी ने अपनी जेब से वह वस्तु निकाली और चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से पूछा कि वह क्या है। यह सुनकर वह और वहाँ खड़े अन्य लोग अपीलार्थी के पास गए। उन्होंने देखा कि अपीलार्थी के हाथ में पैसे थे और वह चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से पूछ रहा था कि उसने उन्हें उसकी जेब में क्यों रखा है। यह बातचीत चल ही रही थी कि उसी समय ट्रैप दल ने अपीलार्थी के हाथो को पकड़ लिया।

26. लोकनाथ साहू (बचाव साक्षी क्र.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी से यह प्रमाण पत्र मांगना शुरू किया कि उसके (चैतराम, अभियोजन साक्षी क्र.-7) पास कोई जमीन नहीं है। अपीलार्थी ने चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से कहा कि उसके पास

जमीन है तो वह ऐसा प्रमाण पत्र कैसे जारी कर सकता है। चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी से कहा कि वह पैसे लाया है और उससे प्रमाण पत्र की मांग की। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह पंचायत भवन पहुंचा, तो अपीलार्थी और नेमीचंद हिरवानी (अभियोजन साक्षी क्र.-6) भी वहां आ गए। उस समय, चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) और एक अन्य व्यक्ति, जो चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) के साथ था, वह भी वहाँ आया था। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि उसने देखा कि चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) ने अपीलार्थी की कमीज की जेब में कुछ रखा था। अपीलार्थी ने अपनी जेब से पैसे निकालते हुए चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) से पूछा कि यह क्या है। उसी समय चैतराम (अभियोजन साक्षी क्र.-7) के साथ मौजूद व्यक्ति ने अपीलार्थी के हाथ पकड़ लिए।

27. **बाबू लाल बाजपेयी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 क्रि.ल.जे.1383 (एससी)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि:

> "6. अभियुक्त का कहना है कि शिकायतकर्ता ने उसकी जेब में पैसे डालने की कोशिश की थी और उसने इस कोशिश का विरोध किया और पैसे ज़मीन पर फेंक दिए थे। अभियुक्त के इस कथन का समर्थन अभियोजन साक्षी रघुबीर सिंह ने किया है, जो पास की ही दुकानदार है और जिसकी दुकान में मुद्रा नोटों पर पराबैंगनी किरणों का परीक्षण किया गया था। चूंकि उसे पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उस दुकान के पास चला गया, जहाँ ट्रैप कार्यवाही की जानी थी। इस अभियोजन साक्षी के अनुसार, वह दुकान के बाहर खड़ा था और उसने उस दुकान के अंदर की बातचीत सुनी थी, जहा ट्रैप कार्यवाही किया गया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह अभियोजन साक्षी, जो अभियोजन पक्ष और अभियुक्त दोनों के लिए अजनबी है, अभियुक्त के उपरोक्त कथन, यदि वह सच न हो तो भी उसका समर्थन करे। अधिनस्थ न्यायालय ने भी इस पर भरोसा किया है, और हमारे अनुसार यह अभियोजन पक्ष के अभियोजन साक्षी का कथन बिल्कुल सही है।.............."

28. दाण्डिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि उपधारणा के आधार पर नहीं की जा सकती। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध को प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा संदेह से परे सिद्ध किया जाना आवश्यक है। यदि घटनाक्रम की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करते हुए स्थापित हो जाती है, तो अभियोजन पक्ष को इस हद तक ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, जिससे विधिवत समर्थित उचित साक्ष्यों से पूर्ण श्रृंखला के अनिवार्यताओं की संतुष्टि हो सके।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29. अधिनियम, 1947 की धारा 4 के तहत उपधारणा के संबंध में, यह सर्वविदित है कि धारा 4 के तहत उपधारणा अचूक नहीं है। अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने विरुद्ध उद्धृत साक्षियों से प्रति परीक्षण करके या विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन किया जा सकता है। यदि अभियुक्त उपधारणा को गलत प्रमाणित करने में विफल रहता है, तो उपधारणा मान्य रहेगा और तब न्यायालय यह मान सकता है कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्त ने रिश्वत के रूप में राशि प्राप्त की थी। यह भी सर्वविदित है कि अधिनियम, 1947 की धारा 4 के तहत जिस अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उपधारणा लगाया गया है, उस पर साक्ष्य का भार अभियोजन पक्ष पर उचित संदेह से परे मामले को सिद्ध करने के भार के समान नहीं है। यदि अभियुक्त व्यक्ति अपने मामले के पक्ष में प्रबल संभावना सिद्ध करने में सफल होता है तो यह पर्याप्त है। अभियुक्त के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करे या अन्यथा दोषसिद्धि का निर्णय प्राप्त करे। अभियुक्त पर अपना मामला अधिसंभाव्यता की प्रबलता से सिद्ध करके प्रमाणित करने का भार होता है। जैसे ही वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, भार अभियोजन पक्ष पर आ जाता है, जिसे अपना मूल दायित्व निभाना होता है, जो कभी नहीं बदलता, अर्थात् अभियुक्त के दोष को संदेह से परे प्रमाणित कर पूरा मामला स्थापित करना।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

30. इस मामले में यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी की कमीज की जेब में पैसे डाल दिए थे। अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से पूछा कि वह क्या कर रहा है और अपनी जेब से पैसे निकाल दिए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा जेब में डाले गए नोटों को निकालते समय अपीलार्थी की उंगलियां उन नोटों के संपर्क में आ गईं, इसलिए जब अपीलार्थी की उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबाया गया, तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। डॉ. अब्दुल रशीद (अभियोजन साक्षी क्र.-1) और आर.ए. शर्मा (अभियोजन साक्षी क्र.-4) ने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत नहीं सुनी थी। इसलिए, केवल अपीलार्थी से पैसे बरामद होने मात्र से अभियोजन पक्ष के आरोप प्रमाणित नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से पैसे स्वीकार किए थे।

31. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) सपढित धारा 5(2) के तहत अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वर्तमान में वह जमानत पर है। उसका बंध पत्र निरस्त किया जाता है और प्रतिभूति उन्मोचित किया जाता हैं।

**सही/-**

**आर.एस. शर्मा,**

**न्यायमूर्ति**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated by – Vidhi Mehta**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur